संख्य-223/2016/आर-5853/26-3-2016-4(18)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर 2016

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज के विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-769/स.क./विकास/26/एकीकृत विकास योजना/2014-15, दिनांक-03.11.2014, निदेशालय पत्रांक-410/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना 80/सिद्धार्थनगर/2015-16,दिनांक-30.06.2015,निदेशालय पत्रांक-सी-127/स.क./विकास/ एकीकृत/विविध-36/2016-17, दिनांक-28.04.2016 एवं निदेशालय पत्रांक-407-10/स.क./विकास/एकीकृत/विविध-36/2016-17, दिनांक-25.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज में विकास कार्यो हेतु में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल रूपया-2695.22 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रूपया-1347.61 लाख (रूपया तेरह करोड़ सैतालिस लाख इकसठ हजार मात्र जिसमें रू0-552.74 लाख उपलब्ध प्राविधान से सीधे एवं रूपया-794.87 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-जनपद-सिद्धार्थनगर (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत (लगभग)	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भनवापुर	सेमरी	42.01	सी.सी.रोड़/ नाली निर्माण	98.86	49.43
2	"	हरनाखुरी	42.06	"	98.13	49.065
3	"	सिरसिया	42.00	"	98.06	49.03
4	"	विजवार बढ़ई	42.02	"	98.99	49.495
5	"	भरवठिया मुस्तहक	42.05	"	99.25	49.625
6	"	डिब्लीडीटा मिश्र	49.27	सी.सी.रोड/के.सी.ड्रेन का निर्माण	91.235	45.6175
7	"	मन्नीजोत	68.98	"	96.408	48.204
8	"	भरवटिया मुस्तहकम	66.66	"	97.309	48.6545
9	"	महुआ खुर्द	54.74	"	88.052	44.026
10	"	पारानाकार	45.45	"	94.476	47.238
योग					**961.17**	**480.585**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)-जनपद-गोरखपुर (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ब्रम्हपुर	डीहघाट	32.51	इण्टरलाकिग, पिच रोड	95.68	47.84
2	"	बसुही गौडसयरा	50.04	"	88.08	44.04
3	"	कोना सोनबरसा	28.27	"	99.27	49.635
4	खोराबाद	रायगंज	29.40	"	98.51	49.495
5	उरूवा	सिसवा उर्फ सीउवा	25.93	"	92.30	46.15
6	खोराबाद	जं0 रामगढ उर्फ चवॅरी	53.46	इण्टरलाकिग और पिच रोड	86.79	43.395
7	"	खोराबाद	39.02	"	94.09	47.045
8	"	शिवपुर	34.43	"	87.43	43.715
9	"	लालपुर टीकर	26.82	पिच रोड	99.61	49.805
10	"	कोनी	25.76	पिच रोड	99.23	49.615
	योग				**940.99**	**470.495**

(3)-जनपद-महराजगंज (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	पनियरा	रजौड़ा कला	32.9	सी.सी.रोड एवं पिच का निर्माण	199.16	99.58
2	"	माधवनगर	36	"	199.16	99.58
3	"	मुजुरी	40	"	196.79	98.395
4	"	जर्दी	35	"	197.95	98.975
	योग				**793.06**	**396.53**

(1)- निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि को तत्काल सम्बन्धित जनपद को आवंटित कर दी जायेगी। प्रश्नगत कार्य को प्रारंभ किये जाने हेतु धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी।

(2)- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-6/2015/ई-8/1320/दस-2015-53/2005, दिनांक-18.11.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण' (सी.एल.डी.एफ.) इकाई, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में निर्धारित दर के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अधिष्ठान व्यय मद में 6.85 प्रतिशत के अनुसार धनराशि चार्ज होगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के उपरांत तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण मे विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(3)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(7)-उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0-एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-223/2016/आर-5853/(1)/26-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
3.कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
4.वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड निर्माण इकाई, गोरखपुर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9.गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम– अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17

(धनराशि रूपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा: वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियो का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाए–					
0103–अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण(के.100/रा.0)– 24–बृहद निर्माण कार्य	90000	19487	19487	19487	70513
0104–अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण(के. 50/रा.50)– 24–बृहद निर्माण कार्य	90000	50000	50000	50000	40000
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–09–कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण–00–24–बृहद निर्माण कार्य	10000	10000	10000	10000	00
योग :	**190000**	**79487**	**79487**	**79487**	**110513**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा: वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य	175000	254487	79487	79487	254487
योग :	**175000**	**254487**	**79487**	**79487**	**254487**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित मदो का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।
(2)– स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है– वास्तविक आवश्यकता के कारण
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–244 /दस–2016 दिनांक 14 दिसम्बर ,2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

p

page 116

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

पृ0संख्या– 223 /2016/आर– 5853 (1)/26–3–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2–निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0लखनऊ।
3–वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय।
4–जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6–कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
7–जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज।
8–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1(02 प्रतियों में)
9–समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
10–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।